100/2015

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

A3

मुन्तकिली प्रकरण सं0 100/2015 श्योकत अली पुत्र सुलेमान निवासी चक 1 के एल डी तह0 घड़साना बनाम 1–हनीफ खां पुत्र सुलेमान नि0 रोड़ावाली तह0 व जिला हनुमानगढ़ 2–शरीफ 3–रफीक 4–हलीमा 5–नूरबानो 6–सुखरा बीबी 7–राजबीबी 8–अमना 9–काली 10–लियकत अली 11–वारसअली 12–आरीफा 13– तहसीलदार घड़साना

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

27.02.2017

प्रार्थी श्योकतअली के अभिभाषक श्री बलराम स्वामी उपस्थित है। उन्हे सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी श्योकत अली के अभिभाषक श्री बलराम स्वामी का कथन है कि तहसीलदार , घड़साना के न्यायालय में लंबित ईंतकाल प्रकरण अनवानी लियाकत अली वगैरा बनाम हनीफ खां वगैरा में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना को लेकर प्रकरण अन्यत्र न्यायालय में मुन्तकिल करने के लिए यह मुन्तकिली प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 54 भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया है। प्रार्थी श्योकत अली अब इस मुन्तकिली प्रा0 पत्र पर कोई कार्यवाही नही चाहता है और नॉट प्रैस करते है। यदि यह मुन्तकिली प्रा0 पत्र इसी आधार पर खारिज किया जाता है तो उन्हें कोई आपति नही है।

चूंकि प्रार्थी इस मुन्तकिली प्रा0 पत्र पर कोई कार्यवाही नही चाहता है और नॉट प्रैस किया है। इसलिए इसी आधार पर प्रार्थी का मुन्तकिली प्रा0 पत्र खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति तहसीलदार, घड़साना को भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

543
6/3/2017

आदेश आज दिनांक 27.02.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

ज्ञाना

(ज्ञाना राम)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर